


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ- 4(21)ग्रावि/गुप-3/एमआईएस/14-15/56000

जयपुर, दिनांक 07-01-2016.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा स्टेट पोर्टल पर **Contact Detail Update** करने बाबत।
संदर्भ :- कार्यालय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.11.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के स्टेट पोर्टल **nrega.raj.nic.in** पर जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय **Contact Detail Updated** किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्य हेतु जिला **MIS Manager** नोडल ऑफिसर नामित किये गये थे एवं इसे समय-समय पर विशेष रूप से स्थानान्तरण/नवीन पदस्थापन की स्थिति में तुरन्त अपडेट किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

वेबसाइट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **Contact details** समय पर **update** नहीं की जा रही है जो कि राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इस संबंध में कृपया संबंधित को निर्देश प्रदान करे कि महात्मा गांधी नरेगा के स्टेट पोर्टल **nrega.raj.nic.in** पर **Contact Details** को अविलम्ब **Update** करे एवं भविष्य में इसे **Updated** रखें। **Update** नहीं होने की स्थिति में संबंधित नोडल ऑफिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त **report** को समय-समय पर आप स्वयं, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा भी अवलोकन किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि **report updated** रहे।

भवदीय

परि. निदे. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
3. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस, समस्त राजस्थान।

अधिशायी अभियन्ता, ईजीएस

